उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या : 33/2025/ 310/छप्पन-2025
लखनऊ : दिनांक : 12 मार्च, 2025

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम : अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन अनुभाग वित्तीय वर्ष : 2024-25 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) पूँजीगत लेखा	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
पूँजीगत-लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02 विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों का निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहद निर्माण कार्य/60-भूमि क्रय					
505302800200024	10000.00	4600.00	4600.00	4600.00	5400.00
505302800200060	100000.00	49500.00	49500.00	49500.00	50500.00
पूँजीगत-लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02 विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-जनपद गौतमबुद्धनगर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य					
505302800210024	15000.00	14300.00	14300.00	14300.00	700.00
पूँजीगत-लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02 विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-22-अयोध्या में एयरपोर्ट-24-वृहद निर्माण कार्य/60-भूमि क्रय					
505302800220024	5000.00	2300.00	2300.00	2300.00	2700.00
505302800220060	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0
पूँजीगत-लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-हेलीकाप्टर/वायुयान का क्रय-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र					

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

505380800030026	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	0
पूँजीगत-लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय					
505380800040042	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	0
योग	163500.00	104200.00	104200.00	104200.00	59300.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) पूँजीगत लेखा	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
पूँजीगत-लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02 विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-जनपद गौतमबुद्धनगर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-60-भूमि क्रय					
505302800210060	100000.00	204200.00	104200.00	104200.00	204200.00
योग	100000.00	204200.00	104200.00	104200.00	204200.00

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत के कारण निम्नानुसार है:- चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य/भूमि क्रय हेतु आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्न कारणों से है- नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण हेतु बढ़ी हुई दरों पर आच्छादित कृषिकों को प्रतिकर का भुगतान किए जाने के कारण व्ययाधिक्य हो रहा है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 ,151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(अभिनव कुमार चौरसिया)
अनु सचिव,
नागरिक उड्डयन विभाग।

आर0ई0 संख्या-बजट-1-530 /दस-2025, दिनांक : 11 मार्च, 2025

सेवा में,
महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।

हस्ताक्षर

.....

.....
(कुँवर मकरन्द सिंह)
संयुक्त सचिव,
वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या :33/2025/310 (1)/छप्पन-2025-तद्दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ। 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में) 6- गार्ड बुक।	(अभिनव कुमार चौरसिया) अनु सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।